देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/26 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 24 जून 2022

"बालाजी विहार" के नाम से अवैध कॉलोनी बसाने के भूमाफियाओं के प्रयासो को जेडीए ने किया विफल!!!

राजस्व गाँव हाज्यावाला,तहसील सांगानेर,जयपुर की कुल 2 बीघा कृषि भूमि पर बिना भूरूपांतरण किए बसायी जा रही थी यह अवैध कॉलोनी!!!

जेडीए ने जेसीबी और मजदूरो की सहायता से पूर्णतया की ध्वस्त!!!

भाग-2

सैंकड़ों परिवारों के जीवन भर की कमाई खा गए भूमाफिया!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 11 मे स्थित राजस्व गाँव जयसिंहपुरा,तहसील सांगानेर,जयपुर के खसरा संख्या 563,568 कुल 9 बीघा 14 बिस्वा पर स्थित सरकारी जमीन और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति की कृषि भूमि पर बसायी जा रही थी अवैध कॉलोनी "कमला रेजीडेंसी"

जैसा कि आपको इस प्रकरण के पहले अंक मे बताया गया था कि जेडीए के ज़ोन 08 मे जेडीए के ज़ोन 08 मे मुहाना मंडी,मानसरोवर के नजदीक,100 फीट रोड पर स्थित कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी "बालाजी विहार" बसायी जा रही है|साथ ही इस बात का भी खुलासा किया गया था कि इस स्कीम के अंतरगर्त 37 से अधिक प्लॉट काटे जाएंगे,जिन्हे एक बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति लि.,जयपुर(रेजिस्ट्रेशन संख्या 2387/L) के पट्टे बांटे जाएंगे|चूंकि मुहाना मंडी के पास जमीनो की रेट अत्यधिक है,इसके चलते इस अवैध कॉलोनी मे भी भूखंड की दर 16 लाख से शुरू होना बताई गयी है|इतना ही नहीं भूमाफियाओं द्वारा बैंक से साँठ-गांठ करके इन भूखंडो पर लोन भी उपलब्ध करवाने का दावा किया जा रहा है|इस प्रकार भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम ना केवल जेडीए को राजस्व का चुना लगाया जा रहा है,बल्कि ग्राहको के साथ भी ठगी की जा रही है|ग्राहको को लुभाने के लिए भूमाफियाओं द्वारा बाकायदा सोशल मीडिया पर जम कर प्रचार भी किया जा रहा है|

जेडीए द्वारा पूर्णतया ध्वस्त की गयी अवैध कॉलोनी बालाजी विहार

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-08 के क्षेत्राधिकार में मुहाना मंण्डी के पास अवस्थित ग्राम-हाज्यावाला में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन-08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-08, 11 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

जवाब मांगते सवाल?

उन सैंकड़ों परिवारों का क्या होगा जिनहोने इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीद लिए थे?

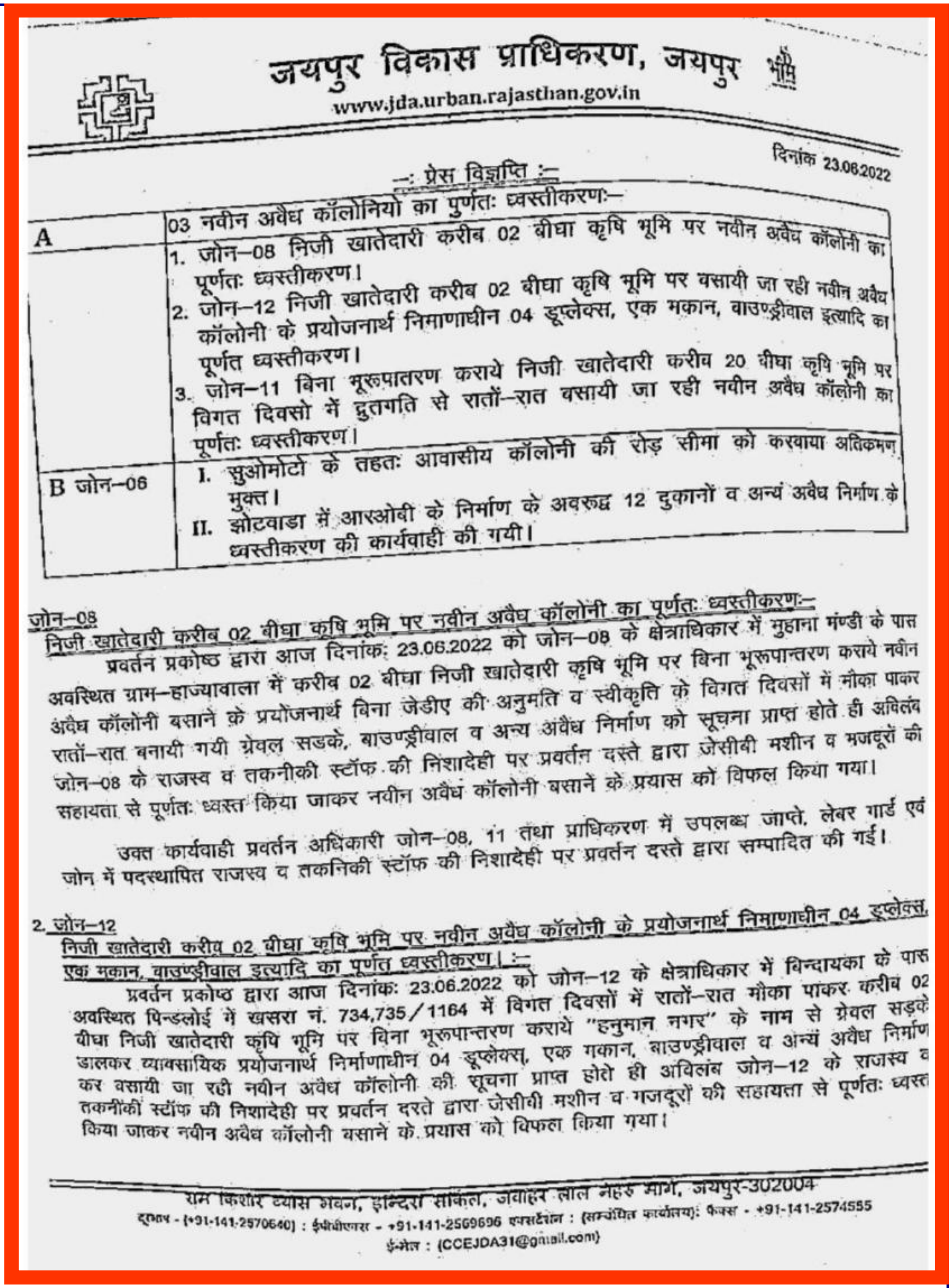

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

दिनांक 23.06.2022

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

A	03 नवीन अवैध कॉलोनियो का पुर्णतः ध्वस्तीकरणः– 1. जोन–08 निजी खातेदारी करीब 02 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरण। 2. जोन–12 निजी खातेदारी करीब 02 बीघा कृषि भूमि पर वसायी जा रही नवीन अवैध कॉलोनी के प्रयोजनार्थ निमाणाधीन 04 डूप्लेक्स, एक मकान, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का पूर्णत ध्वस्तीकरण। 3. जोन–11 बिना भूरूपातरण कराये निजी खातेदारी करीब 20 बीघा कृषि भूमि पर विगत दिवसो में द्रुतगति से रातों–रात बसायी जा रही नवीन अवैध कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरण।
B जोन–06	I. सुओमोटो के तहतः आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमा को करवाया अतिक्रमण मुक्त। II. झोटवाडा में आरओबी के निर्माण के अवरुद्ध 12 दुकानों व अन्यं अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

जोन–08
निजी खातेदारी करीब 02 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी का पूर्णतः ध्वस्तीकरणः–

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 23.06.2022 को जोन–08 के क्षेत्राधिकार में मुहाना मंण्डी के पास अवस्थित ग्राम–हाज्यावाला में करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के विगत दिवसों में मौका पाकर रातों–रात बनायी गयी ग्रेवल सडके, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण को सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन–08 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन–08, 11 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।

2. जोन–12
निजी खातेदारी करीब 02 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलोनी के प्रयोजनार्थ निमाणाधीन 04 डूप्लेक्स, एक मकान, बाउण्ड्रीवाल इत्यादि का पूर्णत ध्वस्तीकरण। :–

प्रवर्तन प्रकोष्ठ द्वारा आज दिनांकः 23.06.2022 को जोन–12 के क्षेत्राधिकार में बिन्दायका के पास अवस्थित पिन्डलोई में खसरा नं. 734,735/1164 में विगत दिवसों में रातों–रात मौका पाकर करीब 02 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भूरूपान्तरण कराये "हनुमान नगर" के नाम से ग्रेवल सड़के डालकर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माणाधीन 04 डूप्लेक्स, एक मकान, बाउण्ड्रीवाल व अन्यं अवैध निर्माण कर बसायी जा रही नवीन अवैध कॉलोनी की सूचना प्राप्त होते ही अविलंब जोन–12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णतः ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - (+91-141-2570640) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555
ई-मेल : (CCEJDA31@gmail.com)

जेडीए की इस कार्यवाही से यह तो साफ हो गया है कि बिना भूरूपान्तरण करवाए और बिना जेडीए की अनुमति लिए,इस जमीन पर पुनः कॉलोनी नहीं बसायी जा सकती|ऐसे मे सवाल उठना लाज़मी है कि अब उन सैंकड़ों परिवारों का क्या होगा जिनहोने इस अवैध कॉलोनी मे भूखंड खरीद लिए थे?क्या भूमाफियाओं द्वारा उन्हे उनकी जमीन का पैसा लौटाया जाएगा?या फिर उन्हे अन्यंत्र जमीन देने का झांसा दिया जाएगा?या फिर इस जमीन के चक्कर मे अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी गंवा चुके ग्राहक संबन्धित पुलिस थानो के चक्कर लगाते रहेंगे?

क्या जेडीए करेगा इस जमीन के खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही?

आपको बता दें कि जेडीए द्वारा पूर्व मे भी कई अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है|देखना यह है कि इस मामले मे भी जेडीए इस अवैध कॉलोनी से संबन्धित खातेदारों की खातेदारी निरस्त करने के लिए कार्यवाही करता है या नहीं?

क्या जेडीए करेगा फर्जी पट्टे देने वाले गिरोह पर कार्यवाही?

जेडीए की इस कार्यवाही से यह तो साफ हो गया है कि जिस जमीन पर यह अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी,वह अभी भी कृषि भूमि है|ऐसे मे यह सवाल उठता है कि जिस सहकारी समिति के नाम से इन भूमाफियाओ द्वारा आज की तारीख के प्रोविजनल अलोटमेंट लैटर वितरित किए जा रहे थे,क्या वह अवैध एवं गैर-कानूनी नहीं है?क्या जेडीए इस मामले मे संबन्धित भूमाफियाओ और गृह निर्माण सहकारी समितियों के पदाधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाएगा?

दैनिक भास्कर जयपुर 24-06-2022

जेडीए ने दो बार बिल्डिंग सील व डी-सिलिंग की, बात नहीं बनी तो तोड़ा

जयपुर | जेडीए ने दो साल की मशक्कत के बाद आखिरकार पृथ्वीराज नगर नॉर्थ प्रथम की हनुमान वाटिका ए की उस बिल्डिंग को तोड़ दिया, जिसे दो बार सिलिंग व डी-सिलिंग किया गया था। हनुमान वाटिका ए में भवन मालिक ने 441.66 वर्ग गज में चार मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली। इसे एक बार जेडीए ने सील किया। भवन मालिक के कोर्ट में शपथ पत्र देने पर डी सिलिंग की गई। बाद में शपथ पत्र के विपरीत निर्माण करने पर जेडीए ने सील करके दीवार चुनवा दी। उसके बाद भवन मालिक व जेडीए अफसरों की मिलीभगत से फिर से सील खोल दी गई। और यह खेल दो साल तक चलता रहा। बाद में जब शिकायत ऊपर तक पहुंची तो अफसरों ने बिल्डिंग को जेसीबी से पूरी तरह से तोड़ना ही उचित समझा। बहरहाल, प्रकरण के बाद बड़ा सवाल उन अफसरों पर भी खड़ा हो रहा है, जिन्होंने दो साल तक मामले को ढुलमुल ही रखा। इसके अलावा जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जोन-08 निजी खातेदारी की करीब 02 बीघा कृषि भूमि एवं जोन-12 में निजी खातेदारी की 2 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी पर बने 4 डुप्लेक्स व कृषि भूमि की बाउंड्रीवाल को भी हटाया है। साथ ही जोन-11 बिना भूरूपांतरण कराए निजी खातेदारी की करीब 20 बीघा जमीन पर बसाई जा रही आवासीय कॉलोनी को अवैध मानते हुए ध्वस्त किया गया।

अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?

जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से भूमाफियाओं द्वारा यह अवैध कॉलोनी बसायी जा रही थी,उससे साफ है कि यह इन लोगो की पहली कॉलोनी नहीं थी|ऐसे मे सवाल और उठता है कि अब तक यह भूमाफिया कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है और कितने लोगो को ठग चुके है?आम जनता से अपील है कि वह भूमाफियाओ द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों की सूचना जेडीए प्रवर्तन को या हमे दे|ताकि ऐसे मामलो के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवायी जा सके|